भगवा पहने नंगे पैर 200 महिलाओं ने देखी 'हनुमान अंश'

जागरण संवाददाता • लखनऊ : जुबां पर जय श्रीराम का उद्घोष, हाथ में गदा, नंगे पैर व तन पर भगवा रंग का वस्त्र धारण किए 200 महिलाओं ने मंगलवार को सिनेमा हाल में फिल्म हनुमान अंश देखी। जैसे फन रिपब्लिक माल का सिनेमा हाल कोई धार्मिक स्थल हो। यहां श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला।

ईश्वरीय स्वप्नाशीष सेवा समिति की ओर से फिल्म हनुमान अंश की विशेष स्क्रीनिंग में महिलाओं को ये अवसर मिला। महिलाएं बाबा नीब करौरी की जीवन यात्रा को पर्दे पर देख भावुक हो गईं। फिल्म के समापन के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रसाद वितरित किया गया। समिति की अध्यक्ष सपना गोयल ने बताया कि बाबा नीब करौरी महाराज की महिमा अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाने के लिए यह प्रयास किया गया। इस दौरान जय श्रीराम जयकारे से वातावरण भक्तिमय रहा। मुख्य अतिथि एमएलसी पवन सिंह चौहान ने इस प्रयास की प्रशंसा की। फिल्म सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है।

लखनऊ : फिल्म 'हनुमान अंश' के निर्माता, निर्देशक एवं प्रमुख कलाकारों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की • सूचना विभाग

ईश्वरीय स्वप्राशीष सेवा समिति की ओर से हनुमान अंश फिल्म देखने पहुंची महिलाएं • जागरण

विशेष स्क्रीनिंग

- बाबा नीब करौरी की जीवन यात्रा को पर्दे पर देख भावुक
- फिल्म सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी

पांच स्क्रीन वाला प्रामिनेंट सिनेमाज शुरू

लखनऊ : प्रामिनेंट माल में पांच स्क्रीन वाले सिनेप्लेक्स प्रामिनेंट सिनेमाज का शुभारंभ किया गया। सीतापुर रोड पर इंजीनियरिंग कालेज चौराहे के पास बने प्रामिनेंट सिनेमाज में अत्याधुनिक साउंड सिस्टम, आरामदायक सीटों के साथ खान-पान की भी सुविधा उपलब्ध है। यहां मिर्जापुर और हनुमान अंश दिखाई जा रही है। वि.

एक नजर में

सिर पर राड से हमला

लखनऊ: मोहम्मद सैफ ने पारा थाने में केस दर्ज कराया कि उनके भाई नसरुद्दीन की सीमेंट और सरिया की दुकान है। आरोप है कि पिंटू शर्मा ने मैटेरियल लिया था, जिसकी रकम काफी समय से बकाया थी। सोमवार शाम को नसरुद्दीन बकाया रकम मांगने पिंटू शर्मा के घर पहुंचा था। आरोप है कि पिंटू शर्मा ने गाली-गलौज करते हुए नसरुद्दीन के सिर पर राड से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। जासं

तीन लाख रुपये ठगे

लखनऊ : कल्याणपुर विवेकानंदपुरम निवासी रिटायर्ड यूको बैंककर्मी विनय कुमार सिंह की मई 2025 में आनलाइन जावेद खान से बातचीत हुई। जावेद ने दिल्ली की जियान इमीग्रेशन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली का निदेशक बन नौकरी का लालच दे तीन लाख ठग लिए। विनय ने केस दर्ज कराया है। (जासं)

सफाई कर्मियों का प्रदर्शन

लखनऊ : पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न कराए जाने के विरोध में फैजुल्लागंज वार्ड (तृतीय) के सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि कूड़ा प्रबंधन और सफाई का काम देख रही मेसर्स लखनऊ स्वच्छता अभियान की तरफ से उन्हें पर्याप्त संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि उन पर काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। (जासं)

मृतक का डीएल ही नहीं वाहनों के हस्तांतरण में भी हो रही हेराफेरी

लखनऊ में कई प्रकरण मिले, अंकुश लगाने के नाम पर पत्राचार

जागरण संवाददाता • लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार से यूं ही नहीं पूछा है कि मृत व्यक्ति के आधार नंबर के आधार पर लर्निंग लाइसेंस कैसे जारी हो गया? लखनऊ में एक नहीं कई मृतकों के नाम पर लर्निंग लाइसेंस बन चुके हैं। सिर्फ डीएल बनाने में ही फर्जी अभिलेखों का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि वाहन के हस्तांतरण में भी फर्जीवाड़े का प्रयास सामने आ चुका है। परिवहन विभाग की 45 सेवाएं आनलाइन हो चुकी हैं, फिर भी ऐसे मामलों में अंकुश लगाने के नाम पर सिर्फ पत्राचार हो रहा।

ओम प्रकाश बनकर फर्जी नंबर का आधार लेकर पहुंचा : 30 अगस्त 2025 को बाइक संख्या यूपी 32 एफएम 6632 की आनलाइन बिक्री करने के लिए जालसाज ने ओमप्रकाश पुत्र गया प्रयास निवासी ईश्वरी खेड़ा मजरा भौरा खुर्द नगराम की ओर से आवेदन किया था। जालसाज ने पूछताछ में स्वीकारा कि वह देवानंद पुत्र शिवमंगल निवासी सिकंदरपुर अमोलिया मोहारीखुर्द गोसाईगंज का रहने वाला है। देवानंद आरटीओ कार्यालय में ओम प्रकाश बनकर फर्जी 8789253695 नंबर का आधार लेकर पहुंचा था। एफआइआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं किया।

24 जून 2025 को सुशांत गोल्फ सिटी स्थित ओमेक्स न्यू हजरतगंज बिल्डिंग में अवैध रूप से रहने वाली उज्बेकिस्तान की दो महिलाओं के पकड़े जाने के बाद जांच में पाया कि महिला ने डीएल बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज की मदद ली थी। आठ अगस्त 2024 को सामने आया था कि लखनऊ के मोहिबुल्लापुर स्थित नायक नगर निवासी रामकुमार वर्मा का लर्निंग लाइसेंस बन गया, जबकि उनकी छह माह पहले ही मृत्यु हो चुकी थी।

8 अगस्त 2024 को सामने आया था कि रामकुमार का लाइसेंस बन गया, जबकि मृत्यु हो चुकी थी

डीएल में नाम 'फ्राड सेल', पिता का नाम 'पेमेंट मत कर'

फतेहपुर निवासी धीरेंद्र कुमार ने लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब 15 अप्रैल 2025 को फाइनल प्रिंट चेक किया तो अवाक रह गया था। डीएल में आवेदक के नाम की जगह पर फ्राड सेल और पिता राम आसरे की जगह पेमेंट मत कर दर्ज मिला था।

आधार का सत्यापन न होने से घटनाएं: बैंकों में खाता खोलने से पहले आधार का सत्यापन होता है लेकिन, लाखों रुपये के वाहन खरीदने या बेचने वालों के आधार कार्ड सही है या नहीं इसके सत्यापन का कोई प्रबंध नहीं है।एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया, परिवहन कार्यालय में डीएल बनवाने व वाहनों की बिक्री के समय आधार सत्यापन की जांच के लिए विभाग को पत्र भेजा है। परिवहन विभाग के सभी कार्यालयों में पूर्व में जारी आनलाइन लर्निंग लाइसेंस की जांच व व्यापक सुरक्षा आडिट के लिए निर्देश जारी हुए थे, उस पर भी कुछ नहीं हो सका है।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

शाखा आफिस - एआरएमबी, लखनऊ
निकट कपूरथला चौराहा, अलीगंज, लखनऊ-226024
मो. नं. **7060027344** ईमेल: cs8272@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी प्रक्रिया से "वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित है, अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकर्ताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति(यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी/बंधक रखा गया था एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई-नीलामी **"जहाँ है जैसा है", "जहां है जो है" और "जो भी हो"** के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नही) निम्नानुसार है। ऋणियों/ जमानतकर्ताओं /बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

क्र सं	शाखा का नाम खाते का विवरण उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम (बंधक सम्पत्ति/यां) (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्सों सहित)	अ)डिमांड नोटिस की तिथि 13(2)सरफेसी नियम 2002 ब)बकाया राशि स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002 द)कब्जा का प्रकार-रचनात्मक/सांकेतिक/भौतिक कब्जा	अ)आरक्षित मूल्य ब)धरोहर धनराशि (धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि) स) वृद्धिशील बिड धनराशि	ई-नीलामी की तिथि व समय	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण
धरोहर धनराशि जमा करने हेतु खाते का विवरण : खाता नं. **827200317118A** आईएफएस कोड (IFS code)-**PUNB0827200** **नोडल अधिकारी - श्री ए. पी. मिश्रा, मुख्य प्रबन्धक, एआरएमबी, लखनऊ, मो. +91 7060027344**						
1	शाखा :एआरएमबी लखनऊ, खाता का नाम-मेसर्स सेल्फ इम्प्लायड वुमेन एसोसियेशन (सेवा) उधारकर्ता-मेसर्स सेल्फ इम्प्लायड वुमेन एसोसियेशन (सेवा) (प्रेसीडेन्ट एवं जनरल सेक्रेटी के माध्यम से), 474/1क/4, ब्रह्म नगर सीतापुर रोड लखनऊ-226020 उधारकर्ता/जमानतकर्ता-सुश्री रूना बनर्जी, (मेसर्स सेल्फ इम्प्लायड वुमेन एसोसियेशन (सेवा) की जनरल सेक्रेटी) पता-1. अशोका अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 405, 5 वे लेन लखनऊ-226012 2. 474/1क/4, ब्रह्म नगर सीतापुर रोड लखनऊ-226020 उधारकर्ता/जमानतकर्ता-सुश्री सेहबा हुसैन (मेसर्स सेल्फ इम्प्लायड वुमेन एसोसियेशन (सेवा) की प्रेसीडेन्ट) पता-1. फ्लैट नंबर -104, प्रार्थना अपार्टमेंट बी-967, सेक्टर ए महानगर लखनऊ 226012, 2. 474/1क/4, ब्रह्म नगर सीतापुर रोड लखनऊ-226020	सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि एवं भवन नं. 474/246, (1ए/4), स्थित ब्रहम नगर, भूमि खसरा नं. 220(एम), इरादत नगर, लखनऊ **क्षे. 616.00 वर्गमी.** **जोकि मेसर्स सेल्फ इम्प्लायड वुमेन एसोसियेशन नं. 1 (सेवा) द्वारा जनरल सेक्रेटरी सुश्री रूना बनर्जी ।** **चौहददी-(डीड के अनुसार)-** पूरब- विक्रेता की भूमि एवं श्रीमती सुमन लता गर्ग का प्लाट एवं श्री एन. के. मिश्रा का प्लाट, पश्चिम-डा. सुषमा निगम की भूमि , उत्तर-कच्चा रास्ता, दक्षिण -टंडन साहब की भूमि,	अ) 07.05.2021 ब)रू. 3,09,68,572.29 दिनांक **31.08.2026** तक + ब्याज दि 01.09.2026. से प्रभावी एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तों स) 05.10.2021 द)सांकेतिक	अ)रू. 2,33,33,000.00 ब)रू. 23,33,300.00 **28/09/2026** अपरान्ह 4.00 बजे तक स)रू. 10,000/-	**29.09.2026** पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक	कोई अधिभार ज्ञात नही
2	(अ) शाखा: एआरएमबी, लखनऊ (ब)खाता-सैयद निजमुल हसन (मृतक) खाता संख्या 029300NC20061626 & 029300NC20061662) (स)उधारकर्ता/बंधककर्ता: स्व0 सैयद निजमुल हसन पुत्र स्वर्गीय सैयद अहसन के सभी कानूनी उत्तराधिकारी , पता 1. 39, फूलबाग कॉलोनी, बहादुरपुर, कुर्सी रोड लखनऊ 226018, पता 2. 43, फूलबाग कॉलोनी, बहादुरपुर, कुर्सी रोड लखनऊ 226018, 3. ए 16 सेक्टर जी अलीगंज डंडैया मार्केट निकट पेट्रोल पंप , लखनऊ 226024, 4. मकान नंबर ई 6/113 आम्रपाली योजना हरदोई रोड लखनऊ 226017 **सह-उधारकर्ता-श्रीमती जेबा जहीर पत्नी सैयद निजमुल हसन,** पता (1). 43, फूलबाग कॉलोनी, बहादुरपुर, कुर्सी रोड लखनऊ 226018 पता (2). 39, फूलबाग कॉलोनी, बहादुरपुर, कुर्सी रोड लखनऊ 226018,	सभी भाग एवं हिस्सों सहित मकान नंबर ई 6/113 आम्रपाली योजना हरदोई रोड लखनऊ 226017 **सम्पत्ति मालिक: सैयद निजमुल हसन पुत्र स्वर्गीय सैयद अहसन** **क्षेत्रफल 40.74 वर्गमीटर** **चौहददी:** पूर्व: मकान नंबर 6/112 पश्चिम: मकान नंबर 6/114 उत्तर: मकान नंबर 6/97 दक्षिण: 4.5 मी चौड़ी सड़क	अ) 24.10.2017 ब)रू. **52,47,264.30** (दिनांक **31.08.2026** को +ब्याज दि- 01.09.2026 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तो, स) 29.01.2018 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 15,75,900.00 ब)रू. 1,57,590.00 **28/09/2026** अपरान्ह 4.00 बजे तक स)रू. 10,000.00	**29.09.2026** पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक	कोई अधिभार ज्ञात नही
3	शाखा : एआरएमबी लखनऊ(मूल शाखा पीसीएफ बिल्डिंग) खाता का नाम- श्री अनुज गुप्ता एवं श्री मनीष गुप्ता उधारकर्ता एवं बंधककर्ता- श्री अनुज गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल एवं श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता दोनों निवासी (1) 365/221, हर्षपुरम, सादतगंज, राजाजीपुरम, लखनऊ- 226017, (2) मकान नं. 543/551, शेखपुर, हबीबपुर, निकट इरम डिग्री कालेज, राजाजीपुरम, लखनऊ- 226017,	सभी भाग एवं हिस्सों सहित सम्पत्ति स्थित मकान नं. 543/551, स्थित खसरा नं. 45 का भाग, शेखपुर, हबीबपुर, सादतगंज, लखनऊ। **क्षे. 55.76 वर्गमी. जोकि श्री अनुज गुप्ता एवं श्री मनीष गुप्ता दोनों पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता के नाम है।** **विलेख के अनुसार चौहददी** -उत्तर-10 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण-तबस्सुम का मकान, पूरब- आराजी विक्रेता, पश्चिम-आराजी विक्रेता।	अ) 31.08.2021 ब)रू. 39,77,761.13 दिनांक **31.08.2026** तक + ब्याज दि 01.09.2026 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे वसूली घटाकर यदि कोई हो तों स) 10.12.2021 द)सांकेतिक कब्जा	अ)रू. 20,45,000.00 ब)रू . 2,04,500.00 **28/09/2026** अपरान्ह 4.00 बजे तक स)रू. 10,000/-	**29.09.2026** पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक	कोई अधिभार ज्ञात नही

नियम एवं शर्तें- बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्ते की पुष्टिकरण के अधीन होगी। 1. सम्पत्तियों की बिक्री "'जहाँ है वैसा है", "जैसा है वैसा है" और "जो भी हो' के आधार पर की जायेगी। 2. बंधक सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्दिष्ट जानकारी बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकित किये गये है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि गलत बयान या बिक्री सम्बन्धी घोषणा में हुई चूक हेतु जवाबदेही नही होगा। 3. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म वेवसाइट **https://baanknet.com** पर की जायेगी। 4. विस्तृत नियमों और शर्तो के लिए, कृपया **https://baanknet.com** में दिए गए लिंक को देखें।

बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

दिनांक 08.09.2026 स्थान लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत लेनदार